

संकल्प

विषय :- बिहार शिक्षा सेवा (शोध एवं अध्यापन उप संवर्ग) के लिए पदों की स्वीकृति।

शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ एवं प्रभावकारी बनाने हेतु केन्द्र सरकार के स्तर से शिक्षक शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजना-1987-88 में प्रारम्भ की गयी। उक्त योजना के तहत राज्य के प्रारम्भिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने/शिक्षकों को प्रशिक्षित करने/शिक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध नियोजन हेतु अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने/शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करने इत्यादि कारणों से राज्य के प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों (Primary Teacher Education Colleges PTECs)/प्रखण्ड अध्यापक शिक्षा संस्थानों (Block Institute of Teacher Education BITE)/जिला शिक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थानों (District Institute of Education and Training DIET)/शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों/अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों (College of Teacher Education CTE) तथा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् के लिए अध्यापक शिक्षक (अकादमिक) एवं गैर अध्यापक शिक्षक (गैर अकादमिक) पदों का सृजन निम्नवत् किया जाता है:-

(क) मूल कोटि (वेतन बैंड 2, ग्रेड-पे 4800, 4 वर्षों की सेवा के बाद वेतन बैंड 3, ग्रेड-पे- 5400/-)

(i)	व्याख्याता, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय	- 230 पद
(ii)	व्याख्याता, प्रखण्ड अध्यापक शिक्षा संस्थान	- 80 पद
(iii)	व्याख्याता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	- 646 पद
(iv)	व्याख्याता, आर्ट एवं क्राफ्ट, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	- 38 पद
(v)	व्याख्याता, स्वास्थ्य एवं शारिरिक शिक्षा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	- 38 पद
(vi)	व्याख्याता, आर्ट एवं क्राफ्ट, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय	- 14 पद
(vii)	व्याख्याता, स्वास्थ्य एवं शारिरिक शिक्षा, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय	- 14 पद

कुल -1060 पद

(ख) प्रोन्नति का प्रथम स्तर (वेतन बैंड 3, ग्रेड-पे 6600/-)

(i)	व्याख्याता अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय	- 196 पद
(ii)	व्याख्याता राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्	- 26 पद
(iii)	वरीय व्याख्याता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	- 228 पद
(iv)	प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय	- 23 पद
(v)	प्राचार्य, प्रखण्ड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	- 08 पद

कुल - 481 पद

(ग) प्रोन्नति का द्वितीय स्तर (वेतन बैंड 3, ग्रेड-पे 7600/-)

(i) प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	- 38 पद
(ii) वाचक, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय	- 56 पद
(iii) वाचक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्	- 16 पद

कुल - 110 पद

(घ) प्रोन्नति का तृतीय स्तर (वेतन बैंड 4, ग्रेड-पे 8700/-)

(i) निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना	- 01 पद
(ii) प्राचार्य, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय	- 14 पद
(iii) प्रोफेसर, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्	- 05 पद
(iv) संयुक्त निदेशक (प्रभारी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान)	- 01 पद

कुल - 21 पद

5. पूर्व के स्वीकृत पदों पर आनेवाले व्यय भार को छोड़कर शेष व्यय भार 75:25 के अनुपात में क्रमशः भारत सरकार तथा बिहार सरकार वहन करेगी।
6. उपरोक्त पद बिहार शिक्षा सेवा (शोध एवं अध्यापन) उप संवर्ग के पद होंगे।
7. स्वीकृत पदों का विषयवार बँटवारा आवश्यकतानुसार विभाग द्वारा किया जाएगा।
8. इन पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति एवं अन्य कार्रवाई 'बिहार शिक्षा सेवा नियमावली' 2014 के सुशंगत नियमों के तहत की जायेगी।
9. वित्त विभाग के माध्यम से प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति प्राप्त है।
10. मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(अमरजीत सिन्हा)

प्रधान सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापक :- 2/एम० 7-14/08 पटना, दिनांक :-/
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


ह0/-

प्रधान सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापक :- 2/एन० 7-14/08 1460 पटना, दिनांक :- 4/6/14 /

प्रस्तावित :- माननीय मुख्यमंत्री बिहार पटना के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/सचिव (प्राथमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/ राज्य परियोजना निदेशक/विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना /अवर सचिव, वित्त (बै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी/निदेशक, उच्च शिक्षा/निदेशक (प्रशासन)-सह-अवर सचिव/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण/निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना/निदेशक (जन शिक्षा)/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना/सभी संयुक्त सचिव/विशेष निदेशक/सभी संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (प्रशासन)/सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी प्राचार्य, राजकीय विद्यालय/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


प्रधान सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना
3-6-14